an>

Title: Need to amend Compulsory Education Act to provide free education to the students upto 12th standard.

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में महत्वपूर्ण विषय रखने का अवसर प्रदान किया । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन कर 8वीं की बजाय 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए । महोदय, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद गत वर्ष देश के हजारों विद्यार्थी, पहली से आठवीं क्लास के बच्चे नि:शुल्क पढ़ाई कर जैसे ही 9वीं कक्षा में पहुंचते हैं, अधिकांश बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों की पढ़ाई के लिए निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों एवं उनके परिवारजनों से फीस मांगी जाती है, जिसकी वे पूर्ति नहीं कर पाते हैं । इन बच्चों के परिजनों के पास निजी स्कूलों की भारी-भरकम फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं होता है, जिसके कारण विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है ।

12.11 hrs

At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri A. Raja, Dr. Farooq Abdullah and some other hon. Members left the House.

महोदय, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के चलते, भारी-भरकम फीस वाले, जाने-माने, नामचीन स्कूलों में 8वीं तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर मजबूरी में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले कई बच्चे अवसाद का शिकार हो रहे हैं । इन स्कूलों को छोड़ने के बाद विद्यार्थी समाज की मुख्यधारा से कट जाते हैं । जबकि अधिनियम के माध्यम से सरकार की मंशा यही है कि गरीब, शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, जो दिहाड़ी मज़दूरी कर के अपने

परिवार का भरण-पोषण करता है, उसके परिवार के बच्चे भी देश के नामचीन स्कूलों में पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 8वीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है । मैं कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय प्रधान मंत्री जी 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा को अधिनियम के दायरे में लाएंगे तो करोड़ों बच्चों का फायदा होगा और वे आगे बढ़ सकेंगे । धन्यवाद ।